कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 1634/11 C

दिनांक : 25/05/17

सेवा में,

Bharat Sanchar Nigam Limited
Divisional Engineer, Telecom Project
1st Floor Lal Kurti Telephone Exchange
Meerut 250001(U.P)

विषयः NOC for laying O.F Cable From T/E Bhopa to TE Muzaffarnagar to TE Charthawal to Muzaffarngar- Deoband as per OFC Route

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपको दधेडू मोतीझील लकड़संघा होते हुये मुजफ्फरनगर थानाभवन मार्ग के किमी0 10 तक एवं किमी0 10 से किमी0 17 चरथावल होते हुये कुटेसरा सहारनपुर सीमा तक कुल लम्बाई 19.00 किमी0 के क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिया जाता है।

1. आपके द्वारा जो आप्टिकल फाईबर केबिल डाला जायेगा वह पेन्टिड सडक के मध्य से 7.00 मीटर दूरी पर होना चाहिए।
2. आप्टिकल फाईबर केबिल डालते समय मार्ग के यातायात में अवरोध नही होना चाहिए।
3. आप्टिकल फाईबर केबिल डालते समय पेन्टिड सडक पर मलबा एवं निर्माण सामग्री एकत्रित करना अवैध होगा।
4. आपके द्वारा जो भी कार्य कराया जायेगा उसका मलबा इत्यादि आपके द्वारा साफ किया जायेगा।
5. भविष्य में मार्ग के विस्तार की संभावना है। यदि विभाग को चौडीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होती हैं तो आपको विभागीय शर्तो पर केबिल शिफ्ट करना होगा।
6. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसके लिये आप स्वंय उत्तरदायीं होंगे।
7. केबिल डालते समय पेन्टिड सतह क्षतिग्रस्त न हो।
8. केबिल डालते समय मार्ग की पटरी क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी मरम्मत आपके द्वारा कराई जायेगी।
9. लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति यदि आवश्यक हो तो आप द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।

यदि आप द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है, तो उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

पत्रांक : /

दिनांक :

प्रतिलिपिः- सहायक अभियन्ता-पंचम, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मु0नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

-प्रवर अभियन्ता प्रा० को सूचनार्थ प्रेषित

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 1967 / 26सी दिनांकः– 22/5/17

सेवा में,

डिविजनल इंजीनियर
टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स
प्रथम तल लालकुर्ती टेलीफोन एक्सचेंज
मेरठ।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में पटेलनगर टेलीफोन एक्सचेज मु0नगर से भोपा टेलीफोन एक्सचेंज तक ओ0एफ0सी0 केबिल डालने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में। (किमी0 75 से 92)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक DETP/MT/BP-MZN-CRTL/OFC/2017-18 Dated 04-05-17

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्त विषयक मार्गो पर टेलीकॉम डक्ट/ओ0एफ0 केबिल डालने हेतु मांगी गयी वांछित अनुमति निम्न प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैः–

- खुदाई का कार्य प्रस्तुत किये गये पत्र तथा ड्राईग के अनुरूप अवगत करायी गयी दूरी पर अथवा मार्ग की पट्री के अन्तिम छोर पर ही खुदाई का कार्य कराया जाये।
- खुदाई के कार्य हेतु एकत्रित की गयी सामग्री मार्ग पर नही रखी जायेगी एवं मार्ग की लेपित सतह किसी भी प्रकार से क्षति नही होनी चाहिए तथा कार्य से यातायात किसी भी प्रकार से बाधित नही होना चाहिए।
- कार्य पूर्ण होने के उपरांत मार्ग को पूर्व की स्थिति में लाने की जिम्मेदारी ~~ठेकेदार~~/आपकी होगी।
- कार्य समाप्त होने के बाद अवशेष सामग्री तत्काल कार्यस्थल से हटा दी जायेगी।
- कार्य से मार्ग के किनारे खडे हुये पेडों को किसी भी प्रकार से क्षति नही होनी चाहिए।
- नाली, नाला इत्यादि के लिए अपने खर्च पर रेलिंग अथवा पैरापिट से बाहर की ओर सर्पोट ब्रैकेट लगाकर डक्टिंग का कार्य कराना होगा।
- डक्टिंग से भूमिगत बिद्युत लाईन, पेय जल आपूर्ति लाईन, गैस लाईन अथवा किसी अन्य कम्पनी की ओ0एफ0सी0 केबिल व सीवरेज को किसी प्रकार का नुक्सान पहुंचता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- खुदान के समय बैरिकेटिंग, आपात रोशनी व्यवस्था तथा चेतावनी बोर्ड आदि का प्राविधान अपने व्यय पर करना होगा।
- यदि खुदाई कार्य के लिए ट्रैफिक ड्राईवर्जन की आवश्यकता होगी तो इस हेतु अपने व्यय पर समस्त कार्यवाही करनी होगी।
- उपरोक्त का अनुपालन न होने की दशा में दी गयी अनुमति को किसी भी समय निरस्त करने का सर्वाधिकार विभाग का होगा।
- आवश्यकता के अनुरूप वन विभाग से अनुमति अपने स्तर पर लेनी होगी।

22/5/17

(इं0 धर्म प्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक / दिनांकः– / /16

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अवर अभियन्ता प्राविधिक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।